न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2024(रा.अ.) (पूर्व प्रकरण संख्या 005/2023(रा.अ.) (GCMS 2024/297)	27.09.2024	08.10.2025

अनवान

कैलाशचन्द्र पिता भगवानलाल जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– पीएम स्वर्णकार अपीलार्थी
श्रीमती सुमन तिवारी (पैरोकार सरकार) प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ दिनांक 20.05.2020 बमामले प्रकरण संख्या 035/2019 रसद

–:: निर्णय ::–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण 035/2019 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र क्रमांक 076/2018 निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील में अवगत कराया गया है कि निर्णय दिनांक 20.05.2025 एक तरफा मनमाना एवं किसी प्रकार से तथ्यों पर आधारित नहीं है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया न इस हेतु न्यायोचित समय एवं अवसर प्रदान किया। अपीलार्थी द्वारा निर्णय जैर अपील में दर्शायी गई कोई भी अनियमितता नहीं की गई है। निर्णय से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर, कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी को निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 06.12.2022 को हुई। केवल संभावना व आकांशा के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया वह सही नहीं है। प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्र.सं. 035/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2020 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 076/2018 बहाल फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 25.07.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी के हाजिर नहीं आने से अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज की गई। जिस पर अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि प्रकरण संख्या 024/2024(रे.वि.) पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद सुनवाई के उक्त प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 21.05.2024 से पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये, जिससे उक्त हस्तगत अपील अपीलार्थी विचाराधीन है। जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/विधि/2024/724 दिनांक 07.10.2024 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 035/2019 दिनांक 20.05.2020 अनवानी सरकार बनाम कैलाशचन्द्र प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी कैलाशचन्द्र उचित मूल्य दुकानदार ग्राम कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ का रहा है। जिसके उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र संख्या 076/2018 को विधि एवं तथ्यों के विपरित जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने आदेश दिनांक 20.05.2020 के द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरित निरस्त कर दिया जिससे दुःखित एवं असन्तुष्ट अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल निर्णय जैर अपील दिनांक 20.05.2020 पारित किया है जो मूलतः विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को निर्णय जैर अपील पारित करने से बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने से परिवारजन द्वारा राजकीय उप–चिकित्सालय निम्बाहेडा में ले जाया गया, उक्त परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी दिनांक 18.02.2019 को दुकान खोलने में असमर्थ रहा है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बीमार होने संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये तथा उदयपुर होने का कथन विरोधाभासी बयान मान कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय परित करने में भारी भूल की है।

अपीलार्थी के संबंध में बताई गई शिकायत पूर्णतया झूठी आधारहीन रही है और उक्त सभी शिकायत दस्तावेज राजनितिक कारणों से महज अपीलार्थी को नुकसान पहुचाने की नियत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं राजनीतिक कारणों को पुष्टि करते हुए अपने आदमियों को फायदा पहुचाने की नियत से की गई शिकायती दस्तावेज रहे है। तथाकथित बताई गई शिकायतों के संबंध में तथाकथित व्यक्तियों के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय में नही हुए है और न ही प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बयान लेकर शिकायतों की पुष्टि की गई है, ऐसी स्थिति में अपुष्टि कारण अग्राह्य दस्तावेजों को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो विधि विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार पत्रावली पर उपलब्ध मूल अभिलेख पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन करया एवं बताया कि जिला कलक्टर महोदया के समक्ष दिनांक ग्रामवासियान द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक/रसद/विधि/शिकायत/2019/53 दिनांक 05.02.2019 के क्रम में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2019 पर उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उचित मूल्य दुकान का उपभोक्ता सप्ताह में दुकान बंद पाई जाना प्रतिवेदित किया गया, जो कि प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लघंन है। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेश क्रमांक/रसद/विधि/35/2019/68 दिनांक 25.02.2019 से प्राधिकार पत्र संख्या 076/2018 को निलम्बित किया गया। जिस पर दिनांक 08.03.2019 को अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा जवाब में प्रस्तुत तथ्य विरोधाभासी पाये गये। कालान्तर में भी अपीलार्थी के विरूद्ध ग्रामवासियान से लगातार शिकायत प्राप्त होती रही है, जिस पर जिला कलक्टर महोदया द्वारा जांच प्रतिवेदन चाहे गये। इस पर अपीलार्थी को पुनः नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी दिनांक 11.06.2019 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी प्रकरण में लगातार जान-बूझ कर अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से तथा अपीलार्थी के विरूद्ध ग्रामवासियान कारूण्डा द्वारा दिनांक 02.02.2019, 06.02.2019, 14.02.2019 14.04.2019 को प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु पहुॅचने पर उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई।

अपीलार्थी के उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन में आते है। इसके साथ प्रकरण की अपीलार्थी को जानकारी होने के बावजूद भी प्रकरण में रूचि नहीं ली एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिवचन/जवाब प्रस्तुत के तथ्य विरोधाभासी रहे है। इस करण से जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को एकपक्षीय निर्णय लगातार अनुपस्थित रहने पर पारित किया गया, अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि जब्ती हेतु पारित आदेश दिनांक 20.05.2020 विधि-सम्मत् होकर पुष्ठि किये जाने योग्य है जिससे अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस समाप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 076/2018 बहाल फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। जिला कलक्टर के समक्ष दिनांक ग्रामवासियान द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक/रसद/विधि/शिकायत /2019/53 दिनांक 05.02.2019 के क्रम में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2019 पर उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उचित मूल्य दुकान का उपभोक्ता सप्ताह में दुकान बंद पाई जाना प्रतिवेदित किया गया, जो कि प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लघंन है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किसी भी नोटिस/आदेश की प्रति अपीलार्थी को प्रोपर तामील कराई गई। अपीलार्थी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात् अपीलार्थी स्वयं ही जानबूझ कर अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब दिनांक 08.03.2019 एवं 14.06.2019 के तथ्य विरोधाभासी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहे है, क्योंकि निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.02.2019 में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उचित मूल्य दुकानदार से दूरभाष पर वार्ता करने पर उदयपुर होना अवगत कराया गया है, जबकि जवाब दिनांक 08.03.2019 के साथ अपीलार्थी द्वारा उप–जिला चिकित्सालय, निम्बाहेडा की पर्ची प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 11.06.2019 में उप जिला चिकित्सालय से राहत नहीं मिलने से उदयपुर पहुॅचने का तथ्य अवगत कराया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह प्रमाणित हो की अपीलार्थी द्वारा उदयपुर में दिनांक 18.02.2019 को या इसके पश्चात् के दिवस पर किसी प्रकार की चिकित्सा करवाई हो, जिससे अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब विरोधाभासी प्रमाणित है, एवं अपीलार्थी द्वारा शिकायतों की जांच पर पहुॅचने पर दुकान का बंद मिलने का तथ्य यह प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी द्वारा शिकयतों की जांच में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया गया है।

अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही नियम 08 (02) के तहत जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही 90 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। इसके बाजवूद जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण विहित अवधि में नहीं किया जाकर लगभग 15 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद निस्तारित किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में लगाये गये आरोपों के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर केवल में खण्डन किया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष भी किसी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर लगाये आरोप गंभीर प्रकृति के है, जबकि जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख पर दिनांक 08.03.2019 एवं दिनांक 11.06.2019 को अपीलार्थी की उपस्थिति अंकित है। इस से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही के संबंध में पूर्णतया जानकारी प्राप्त रही है एवं अपीलार्थी द्वारा स्वयं रूचि लेकर प्रकरण में जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रकरण का प्रतिरक्षण नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल अभिलेख के अवलोकन मात्र से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2019 से दिनांक 20.05.2020 तक अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं समय दिया गया है, किन्तु अपीलार्थी स्वयं रूचि लेकर अपने प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में लगाये गये आरोप के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई अभिवचन नहीं किया गया है, केवल मात्र खण्डन कर दिया गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा जिला रसद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी के एक तरफा एवं मनमाना निर्णय पारित करने का प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जारी कर अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया, किन्तु अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद किसी भी प्रकार से विरोधाभासी तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही इस न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, केवल मात्र खण्डन किया गया जिससे प्रकरण प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह साबित/प्रमाणित किया जा सके कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच के आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गई है, जबकि मूल अभिलेख पत्रावली में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप के संबंध में पत्रावली पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये है, ऐसी स्थिति में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने के दिये गये आदेश में किसी प्रकार के संशोधन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के नियम 08 व 09 के तहत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना पाया जाता है निष्कर्षतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 035/2019 अनवानी सरकार बनाम कैलाश में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official